

राजस्व प्रार्थना पत्र 08/2019  
जीसीएमएसम नंबर 2019/00273  
धनश्याम बनाम् सरकार

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि धनश्याम एवं श्यामसुन्दर दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये धनश्याम के स्थान पर श्यामसुन्दर का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 150 में दर्ज खातेदार नाम धनश्याम पुत्र गोरधन के स्थान पर वास्तविक नाम श्यामसुन्दर पुत्र गोरधनराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश :: —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम तंवरा तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 150 खसरा नंबर 744 रकबा 11 बीघा में दर्ज नाम धनश्याम पुत्र गोरधनराम के स्थान पर श्यामसुन्दर पुत्र गोरधनराम दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक...30/12/2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



30/12/2019  
(रवीन्द्र कुशिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, जायल